भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *264
दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

***264. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:**
श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गर्भावस्था और प्रसव की स्थिति के कारण होने वाले मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) शुरू की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि 50 प्रतिशत से अधिक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत तीनों किश्तें नहीं मिलीं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है, यदि हां, तो इस संबंध में विशेषत: मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार किए गए या किए जाने हेतु प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या पहला बच्चा लड़का होने की स्थिति में, दूसरे बच्चे के जन्म पर उक्त योजना का लाभ देने का कोई प्रस्ताव है;
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

******

"प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना" के संबंध में श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे और श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 264 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य मजदूरी हानि की आंशिक भरपाई हेतु नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि महिला पहले बच्चे के प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके; और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्लू और एलएम) के स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहार में सुधार किया जा सके। इस योजना में दूसरे बच्चे, यदि बालिका हो, के लिए अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बालिका के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाता है।

(ख): 1 अप्रैल, 2022 से व्यापक मिशन शक्ति योजना की शुरुआत के साथ, पीएमएमवीवाई के तहत किस्तों की संख्या तीन (3) से घटाकर दो (2) कर दी गई है। इसके अलावा, पीएमएमवीवाई के तहत दूसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व लाभ दिया जाता है, बशर्ते दूसरा बच्चा बालिका हो। इस योजना में संशोधन के परिणामस्वरुप मार्च,2023 में एक नया पोर्टल पीएमएमवीवाई-सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सॉफ्ट) विकसित और शुरू किया गया। पीएमएमवीवाई-सॉफ्ट के तहत, यूआईडीएआई के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण डिजिटल रूप से किया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) सत्यापन सुनिश्चित किया जाता है ताकि निधि सीधे उनके डीबीटी-सक्षम आधार-सीडेड बैंक या डाकघर खातों में अंतरित किया जा सके। पीएमएमवीवाई-सॉफ्ट मोबाइल ऐप लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया के लिए चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। इस नए पोर्टल की शुरुवात के साथ ही पुराना प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना- कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएएस) पोर्टल को बंद और डीलिंक कर दिया गया है।

जी नहीं। पीएमएमवीवाई-सॉफ्ट एमआईएस के अनुसार, दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, पीएमएमवीवाई के अंतर्गत पीएमएमवीवाई-सीएएस पर पहली, दूसरी और तीसरी किस्त के लिए आवेदन करने वाले और जिन लाभार्थियों को ये किस्तें प्राप्त नहीं हुई हैं, उनका कुल प्रतिशत क्रमशः लगभग 8.06%, 5.22% और 4.89% है।

(ग): जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ये भुगतान किये जा रहे है उनके लिए पीएमएमवीवाई-सॉफ्ट में एक सीएएस भुगतान मॉड्यूल तैयार किया गया और क्रियाशील बनाया गया है।

(घ) और (ङ): मिशन शक्ति के तहत, पीएमएमवीवाई के अंतर्गत दूसरे बच्चे के लिए मातृत्व लाभ दिया जाता है, चाहे पहले बच्चे का लिंग कुछ भी हो, बशर्ते दूसरा बच्चा बालिका हो।

*****